छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा　　　　प्रथम सत्र　　　　अंक-19

रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2019

(फाल्गुन 8, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या- 04, 07 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: सर्वश्री नारायण चंदेल, दीपक बैज अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 25 तारांकित एवं 50 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2016-17, तथा

(2) श्री टी.एस. सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (च) की

अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18,

पटल पर रखे ।

3. पृच्छा

सर्वश्री अजीत जोगी, धर्मजीत सिंह ने वनवासियों के वन अधिकार पट्टे निरस्त किये जाने संबंधी स्थगन पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुये।)

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अवैध स्लाटर हाऊस (कसाई खाना) संचालित किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

5. बहिर्गमन

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में बहिर्गमन किया गया।

6. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) डॉ.विनय जायसवाल, सदस्य ने चिरमिरी में स्थापित एस.ई.सी.एल. कोल माईन्स द्वारा स्थानीय मजदूरों को नौकरी से निकाले जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री सौरभ सिंह
(2) श्री सत्यनारायण शर्मा
(3) श्री अजीत जोगी
(4) श्री नारायण चंदेल
(5) श्री कुंवर सिंह निषाद

8.याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
(2) श्री प्रमोद कुमार शर्मा

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1)छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) विधेयक, 2019 (क्रमांक 6 सन् 2019)

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) विधेयक, 2019 (क्रमांक 6 सन् 2019) पुर: स्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2019 (क्रमांक 5 सन् 2019)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2019 (क्रमांक 5 सन् 2019) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारम्भ की।
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अमरजीत भगत, धर्मजीत सिंह

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुये।)

सर्वश्री मोहन मरकाम, शिवरतन शर्मा

(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुये।)

सर्वश्री केशव प्रसाद चन्द्रा, शैलेष पाण्डेय, देवव्रत सिंह, बृहस्पत सिंह

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री धरमलाल कौशिक- नेता प्रतिपक्ष,

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारम्भ किया ।

10. विनियोग विधेयक के पारण हेतु समय वृद्धि की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 158 (2) के तहत् विनियोग विधेयक के पारण का समय 5.00 बजे निर्धारित है । चूंकि विनियोग विधेयक पर माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर अभी शेष है, इसलिए मैं सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 158 (2) को शिथिल कर विनियोग विधेयक के पारण के समय में वृद्धि की घोषणा करता हूं ।

मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2,3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2019 (क्रमांक 5 सन् 2019) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

सायं 5.15 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 28 फरवरी, 2019 (फाल्गुन-9, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा